अध्याय–2 (मैनुअल–1)

संगठन की विशिष्टियॉ, कृत्य एवं कर्तव्य

2.1 लोक प्राधिकरण के उददेश्य

जिले के ग्रामीण क्षेत्रो की मुलभूत आवश्यकताओ की विभिन्न विकास मूलक योजनाओ के माध्यम से अपेक्षाकृत पिछडे वर्गो के उत्थान तथा विकास संबंधी जिला पंचायत का मुख्य उद्देश्य है ।

2.2 लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन

2.3 लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग

भारतीय संविधान (तिरहत्तरवां संशोधन अधिनियम 1992) के अनुच्छेद 243 एवं 280 मे किये गये संशोधन के अनुसार म.प्र. मे पंचायतराज अधिनियम 1993 प्रभावशील किया गया । उक्त अधिनियम मे ग्रामीण जनता की विकास कार्यो मे व्यापक भागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओ ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत का राज्य निर्वाचन आयोग गठित कर वर्ष 1994 मे गठन किया गया ।

भारतीय संविधान मे की गई व्यवस्थाओ के अनुरूप ग्रामीण विकास से संबंधित विभागो द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओ को व्यापक अधिकार दिए गए ।

चूंकि भारतीय संविधान के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओ के अंतर्गत जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन किया गया है । अतः जिला पंचायत के समानान्तर जिला स्तर पर पूर्व से गठित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का 1.10. 1997 से जिला पंचायत मे विलय किया जा चुका है । पंचायती राज अधिनियम 1993 मे संशोधन किया जाकर 26.1.01 से उक्त अधिनियम का नाम संशोधित कर पंचायतीराज एवं ग्राम स्वरोज अधिनियम 1993 किया गया । जिसके अनुसार जिले के प्रत्येक ग्राम मे ग्राम सभा गठित की गई तथा ग्रामीण क्षेत्रो का समग्र विकास ग्राम सभा को सौपा गया ।

पंचायतीराज एवं ग्राम स्वरोज अधिनियम 1993 के प्रभावशील होने के पश्चात 5 वर्षीय कार्यकाल के दो चरण सफलतापूर्वक संपादित हो चुके है । तृतीय चरण मे वर्ष 1994 के निर्वाचन मे निर्वाचित जनप्रतिनिधियो की सभा वर्तमान मे कार्यरत है ।

2.4/2.5 लोक प्राधिकरण के कर्तव्य/लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य

1 जिले के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिये वार्षिक योजनाएं तैयार करना और पंचायतो को ऐसी योजना के समन्वित कार्यान्वयन मे को सुनिश्चित करेना ।

2 किसी विधि द्वारा उसे सोपी गयी स्कीमो के और उन स्कीमो के जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा उसे सौपी गयी है, संबंध मे वार्षिक योजनाएं तैयार करना ।

3 जनपद पंचायतो के तथा ग्राम पंचायतो के क्रियाकलापो का समन्वयन, मूल्यांकन, मानीटर करना और उनका मार्गदर्शन करना ।

4 जनपद पंचायतो द्वारा तैयार की गई योजनाओ का समग्र पर्यवेक्षण समन्वय तथा समेकन सुनिश्चित करना ।

5 किसी विधि द्वारा उसे सौपी गयी या जो उसे केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा सौपी गयी है, ऐसी स्कीमो, संकर्म व परियोजनाओ का निष्पादन सुनिश्चित करना ।

6 केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा अंतरित किए गए या प्रत्योयोजित किए गए कृत्यो, संकर्मो, स्कीमो तथा परियोजनाओं का निष्पादन सुनिश्चित करना ।

7 अंतरित किए गये कृत्यो, संकर्मो, स्कीमो तथा परियोजनाओ के संबंध मे केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियो को केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा नियत मापदण्डो के अनुसार जनपद पंचायतो तथा ग्राम पंचायतो को पुनः आबंटित करना ।

8 उन अनुदानो को प्रस्तावो को जो जनपद पंचायतो से किन्ही विशेष प्रयोजनो के लिये प्राप्त हुए है। समन्वित करना और उन्हे राज्य सरकार को अग्रेषित करना।

9 ऐसी योजनाओ, परियोजनाओ, स्कीमो तथा अन्य संकर्मो का जो दो या अधिक जनपद पंचायतो के साझे की हो निष्पादन सुनिश्चित करना ।

10 ग्राम पंचायत के माध्यम से या निष्पादन एजेसीयो के माध्यम से संकर्मो, स्कीमो और परियोजनाओ को जो राज्य सरकार द्वारा पंचायतो को अंतरित की गई है। उनकी निधि के स्त्रोतो को विचार मे लाये बिना निप्पादित करना ।

11 विकास संबंधी क्रियाकलापो, पर्यावरण के संरक्षण, सामाजिक वानिकी, परिवार कल्याण, निःशक्तो, निराश्रितो, महिलोओ युवाओ, बालको तथा समाज के कमजोर वर्गो के कल्याण के संबंध मे राज्य सरकार को सलाह देना ।

12 पंचायतो मे नियुक्त किए गए और पदस्थ किए गए कर्मचारियो का जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पंचायतो को स्थानांतरित किया गया कर्मचारी वृंद आता है, प्रशासन करना तथा उनका नियत्रण करना ।

13 किसी विधि द्वारा या केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा उसको सौपी गयी शक्तियो का प्रयोग करते हुए संशाधन जुटाने के लिये समस्त आवश्यक उपाय करना ।

14 किसी अन्य शक्तियो का प्रयोग करना तथा अन्य कृत्यो का पालन करना जो राज्य सरकार द्वारा उसे प्रदत्त की जावे या उसे सौपे जावे ।

2.6 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण

जिले के समग्र विकास एंव गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों कि आर्थिक स्थिति में सुधार करने एवं गरीबी रेखा से उपर उठाने के लिए एवं रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निम्न योजनाएं संचालित है :–

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
2. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
3. समग्र स्वच्छता अभियान
4. मध्यान्ह भोजन योजना
5. राजीव गांधी जलग्रहण प्रबंधन मिशन (डी.पी.ए.पी–बैच), आय.डब्ल.एम.पी
6. इंदिरा आवास योजना
   - अ. इंदिरा आवास होम स्टेट
   - ब. मुख्यमंत्री आवास योजना जिला स्तर
   - स. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना
7. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
8. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
9. 12वॉ वित्त आयोग, 13वॉ वित्त आयोग
10. मूलभूत
11. हाथकरघा विभाग
12. बी.आर.जी.एफ.

2.7 लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (शासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिला ब्लाक आदि) पर संगठनात्मक ढांचा (जहां लागू हो)

(क) स्व–रोजगार स्कंध

(ख) महिला स्कंध

(ग) पारिश्रमिक रोजगार स्कंध

(घ) अभियांत्रिकी स्कंध

(ङ) लेखा स्कंध

(च) निगरानी और मूल्यांकन स्कध, और

(छ) सामान्य प्रशासन स्कंध ।

1. जिला पंचायत

2. जनपद पंचायत (जिले में कुल 10 जनपद है)

3. ग्राम पंचायत (जिले में कुल ग्राम पंचायत 556 है)

4. ग्राम सभा (जिले मे कुल 1349 ग्राम सभा कार्यरत है)

2.8 लोक प्राधिकरण की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं

लोक प्राधिकरण के अन्तर्गत जिले में गठित त्रिस्तीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा अपनी अधिकारिता के अधीन विभिन्न प्रकार के कर /फीस का आरोपण किया जाता है । इन संस्थाओं की कार्यदक्षता में वृद्धि हेतु जन साधारण को कर /फीस का भुगतान संबंधित संस्था को समयावधि में किया जाना आवश्यक है । संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर संबंधित संस्था में कार्यो में पर्याप्त गति आ जायेगी ।

2.9 जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि / व्यवस्था

शासन द्वारा स्थानीय संस्थाओं के अन्तर्गत विभिन्न योजनों में विकास कार्यो हेतु 75: 25 के अनुपात में जनसयोग प्राप्त होने की सहमति पर कार्य स्वीकृत किये जाते है । जनसहयोग नगद /वस्तु /श्रम के रूप में होता है नियमानुसार जनसहयोग को सहमति पर ही कार्य प्रारंभ किये जाते है । संस्थाओं द्वारा किये गये करारोपण के विरूद्व वसूली किये जाने की समुचित व्यवस्था है बकाया रहने पर संबंधित से बकाया भू–राजस्व वसूली के सदृश्य वसूली किये जाने की अधिनियम व्यवस्था की गई है ।

2.10 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था

अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण करने के लिए शिकायत शाखा का गठन किया गया है ।

2.11 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते (कृपया पतों का जनपदवार वर्गीकरण करें)

1 जिला पंचायत बैतूल एम.एल.बी. स्कूल के पीछे कोठी बाजार, जिला–बैतूल

2 जनपद पंचायत बैतूल तहसील आफिस के पास बैतूल

3 जनपद पंचायत शाहपुर बस स्टेण्ड के पास शाहपुर

4 जनपद पंचायत चिचोली बस स्टेण्ड के पास चिचोली

5 जनपद पंचायत घोड़ाडोगरी हायरसेंकडरी स्कूल के पास घोड़ाडोगरी

6 जनपद पुचायत मुलताई नगरपालिका कार्यालय के पास मुलताई

7 जनपद पंचायत आमला शासकीय चिकित्सालय के पास आमला

8 जनपद पंचायत प्रभातपटट्न हायर सेकडरी स्कूल के सामने प्रभातपटट्न

9 जनपद पंचायत भैंसदेही बस स्टेण्ड के पास भैंसदेही

10 जनपद पंचायत आठनेर थाने के पीछे आठनेर

11 जनपद पंचायत भीमपुर बाल विकास परियोजना कार्यालय के पास भीमपुर

2.12	कार्यालय के खुलने का समय
	प्रातः 10.30 बजे
	कार्यालय के बंद होने का समय
	शाम 5.30 बजे